राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रमिला यादव / बनारसी

तारीख हुक्म	609/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/3/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमाँ एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो. संख्या 4 लगायत 10 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 7 ग्राम माचडा पटवार हल्का हरमाड़ा तहसील आमेर स्थित वाद अधीन आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। भूमि खाता संख्या 210 के खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टेयर जिसमे राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण का हिस्सा 375/2115 हिस्सा बराबर एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 6/35, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 8/35, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 19/75, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 18/75, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 19/75 हिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 19/75 दर हिस्सा 894/2115 निहित है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 7 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर मनबट से विभाजन कर कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादीगण के मन में बदनीयती आ गयी है तथा वे वादीगण को बेदखल व वेकब्जा करने की कोशिश करते है जिससे वादीगण मिन प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हक हिस्से के बाबत जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है तथा वादीगण अपने हक़ हिस्से की भूमि का अलहदा विभाजन मीट्स एन्ड बाउन्ड्स एवं मौके के अनुसार अपना अलग खाता व लगान कायम कराने के अधिकारी है वाद पत्र के अन्त में इस्तदुआ की गयी कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमाई जावे वादपत्र के मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 929 रकबा 1.78 हैक्टेयर वाके ग्राम माचडा पटवार हल्का हरमाड़ा गिरदावर सर्किल हरमाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर में के वादीगण के उपयोग-उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 7 किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, बेजामजाहमत, जबरन बेदखल म स्वय करे ना अन्य किसी से करावे तथा वादग्रस्त भूमि केराजस्व रिकार्ड	

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान) जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रमिला यादव / बनारसी

तारीख हुक्म	609/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं मौके की स्थिति में किसी प्रकार हेर-फेर, परिवर्तन, न स्वयं करे ना अन्य किसी से करावे तथा वादग्रस्त भूमि का बैचान, हस्तान्तरण, बय, बक्शीश न करे ना करावे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 की और से अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु नियत की गयी तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्रावली कैम्प कोर्ट में नियत कर दिनांक 30/06/2017 को मीट्स एन्ड बाउन्ड्स व कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक डिक्री कर उभयपक्षकारो की उपस्थिति में कुरैजात तहसीलदार आमेर को तैयार करने के आदेश दिये गये। जिसके विरुद्ध अपीलार्थीया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिसके पश्चात प्रार्थी सुरेश दत्तक पुत्र औकार जाति अहीर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्तपश्चात अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी एवं अपील पर ईकजाई बहस सुने जाने के निरन्तर अनुरोध करने पर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी एवं अपील पर अन्तिम रूप से ईकजाई समायत की गयी। तत्तपश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा गुणावगुण पर अपनी-अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 के सन्दर्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27/07/2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत कर दिया था

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	609/2017 प्रमिला यादव / बनारसी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3

एवं पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 14/08/2017 नियत की गयी थी एवं इसी हेतु निरन्तर पत्रावली में लगभग 34 तारीखे तब्दील की गयी किन्तु वादी/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो जवाब उक्त प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया एवं न ही बहस उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में की गयी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दे दिये गये जबकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात ही बाद में अग्रिम कार्यवाही की जाना चाहिये थी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नही की जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरुद्द अपीलार्थी प्रस्तुत अपील में पक्षकार कायम किये जाने एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के लिये ही यह प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी आमेर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पर दिनांक 03/12/2019 को पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है जिसके सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान उक्त आदेश की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त आदेश के माध्यम से प्रार्थी को मृतक औकार का दत्तक पुत्र होने की वजह से उसके हिस्से की आराजीयात के सन्दर्भ में रिकार्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये गये है, प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 08/05/1985 एवं अतिरिक्त सिविल जज के निर्णय दिनांक 28/05/2005 की प्रतियाँ प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर ही उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा प्रार्थी को मृतक औकार का दत्तक पुत्र होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती का आदेश दिया गया था जिससे स्पष्ट रूप से प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरुद्द प्रस्तुत इस अपील में आवश्यक पक्षकार है, अत: प्रार्थी को पक्षकार समायोजित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश पारित करे की वाद में प्रार्थी को पक्षकार समायोजित किया जाकर वाद का पुन: निस्तारण करे | रेस्पो. की और से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रमिला यादव | बनारसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	609/2019 — 4	

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसके सन्दर्भ में अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो. ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्युकी मृतक औंकार ने प्रश्नगत आराजीयात में अपने हिस्से की आराजीयात अपने भाई इन्द्रराज को समर्पित कर दी थी एवं इन्द्रराज के वारिसो ने भूमि का विक्रय पत्र रेस्पो. सं. 4 के हक़ में कर दिया है| प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट्स में साज कर प्रस्तुत किया है जिससे रेस्पो. स. 4 क्रेता के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा| अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो. ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत चली कार्यवाही संक्षिप्त (FISCAL) कार्यवाही की परिभाषा में आती है जिसमे हुये निर्णय का संज्ञान वाद में नही किया लिया जा सकता | अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमाया जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं उभयपक्षों की लिखित बहस पर गौर किया | प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 के साथ प्रार्थी के हक़ में हुई रजिस्टर्ड वसीयत की प्रति एवं इसी सन्दर्भ में दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की है जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी मृतक औंकार का वसीयतधारी है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अंकित प्रश्नगत आराजीयात के सन्दर्भ में मृतक औंकार का हिस्सा निहित होने से एवं प्रार्थी मृतक औंकार का वसीयतधारी होने की वजह से प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में आता है जिससे वाद एवं अपील में विधिवत निस्तारण हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर उसे पक्षकार अपील समायोजित किया जाकर बतौर रेस्पो. संख्या 11 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है |

जहाँ तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में इस स्तर पर कोई प्रक्रिया इस न्यायालय द्वारा दिया जाना

(हस्ताक्षर) 4/10/22
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	609/2019 प्रमिला यादव / बनारसी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उचित प्रतीत नही होता है क्युकी प्रकरण में प्रार्थी सुरेश कुमार को आवश्यक पक्षकार घोषित किया जाकर पक्षकार अपील बनाया गया है जिससे वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद हेतु भी आवश्यक पक्षकार है अन्यथा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी विचाराधीन है जिसका पक्ष सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री महत्वहीन हो जाती है, अतः प्रस्तुत अपील मात्र इस बिन्दु पर आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2017 निरस्त किये जाते है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थी सुरेश कुमार को पक्षकार वाद समायोजित करे एवं तत्तपश्चात वाद का विधिवत निस्तारित करे। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19/04/2021को उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/3/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर